<u>बिन्दु सं0–8</u>

बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं।

विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना में लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठकों में तथा नगर क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति की कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति का वितरण ग्राम प्रधान तथा ग्राम सभा के सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार विभागीय योजनाओं में विभिन्न बोर्ड, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों का सहयोग लिया जाता है तथा इन बोर्डों, परिषदों, समितियों की बैठक में जन सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।